नियमित दीवानी वाद संख्या 39/2017 CIS No. 45/2017
शीर्षक– बनवारी लाल वगै. बनाम हीरालाल वगै.

10.02.2026

वकुलाय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थी/वादी संख्या 1 बनवारी लाल की ओर से दिनांक 23.01.2026 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(1) बाबत बहस सुनी गई। आज इस आदेशिका के द्वारा प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए ही तर्क दिया कि वादी बुजुर्ग व्यक्ति है जिस कारण याददाश्त कमजोर होने से पूर्व में कुछ दस्तावेज पेश करने से रह गये हैं जो कि दस्तावेज प्रमाणित प्रतियां हैं जिनके फर्जी बनाये जाने का भी कोई अंदेशा नहीं है एवं दस्तावेजों का पूर्व में भी विवरण दावे में दिया जा चुका है। वाद के निस्तारण के लिए उक्त दस्तावेजों का रिकार्ड पर होना अत्यावश्यक बतो हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

उत्तर बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए ही तर्क दिया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुतशुदा दस्तावेज वर्ष 2017–18 से सम्बंधित हैं और इतनी लम्बी अवधि पश्चात अर्थात देरी से उक्त दस्तावेजात पेश करने का कोई कारण आवेदन में दर्शित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त फर्द के साथ जो प्रथम दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि रिकार्ड के सम्बंध में पेश की है उस दस्तावेज की नकल का कोई मूल आवेदन पेश नहीं किया है जिससे यह दस्तावेज अपने आप में ना तो साबित है और ना ही सुसंगत हैं। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी/वादी द्वारा पुनः निवेदन किया गया कि दस्तावेज वादपत्र के तथ्यों से सम्बंधित होकर प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु अहम और महत्वपूर्ण हैं और इनका हवाला वादपत्र के अभिवचनों में होने से इन्हें रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। आवेदन मय पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वादी/प्रार्थी की ओर से जिन दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन इस आवेदन के जरिये किया जा रहा है उन दस्तावेजात का हवाला वादपत्र के अभिवचनों में नहीं होने का तथ्य अप्रार्थी/प्रतिवादी ने जाहिर किया है, किंतु वादपत्र के अभिवचनों से जाहिर होता है कि वादी द्वारा वादपत्र के अभिवचनों में इन दस्तावेजात का हवाला दिया हुआ है और साथ ही वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज फहरिस्त में भी इन दस्तावेजात का

हवाला दिया होना प्रकट हाता है। दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि ये दस्तावेजात वादपत्र से सुसंगत होकर महत्वपूर्ण व आवश्यक दस्तावेजात हैं।

जहाँ तक इन्हें देरी से प्रस्तुत करने का प्रश्न है तो पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण साक्ष्य वादी के प्रक्रम पर है और वादी की साक्ष्य शेष है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाने से प्रतिवादी को उक्त दस्तावेजात बाबत प्रतिपरीक्षा के अधिकार उपलब्ध रहेंगे। इन तमाम तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादी/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात महत्वपूर्ण और आवश्यक दस्तावेज प्रतीत होते हैं, जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्षतः तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी /वादी बनवारीलाल की ओर से दिनांक 23.01.2026 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 14(1) सिविल प्रक्रिया संहिता एतद्द्वारा **स्वीकार** किया जाकर प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत फार्म नं. 117 में अंकित अनुसार दस्तावेजात को बाद जाँच रिकार्ड पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश सुनाया गया। उक्तानुसार प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जाता है।

साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली दिनांक 16.02.2026 को पेश हो।

(कमल लोहिया)

VISHU CHAWLA
Steno grade I
"Authenticated document"
Digitally signed by VISHU CHAWLA
Date: 2026.02.11 16:48:29 +0530